न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :— मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
208 / 2023	30.05.2023	31.7.2023

उनवान

1. मानसिंह पुत्र प्रभातसिंह जाति अहीर
2. शाति पत्नी गुरूदयाल जाति अहीर
3. सुरेश कुमार पुत्र गुरूदयाल जाति अहीर
4. बीरमति पुत्री गुरूदयाल जाति अहीर
5. माया पत्नी विरेन्द्र कुमार पुत्र गुरूदयाल
6. औमवती पुत्री विरेन्द्र कुमार यादव पुत्र गुरूदयाल
7. राजेश पुत्र विरेन्द्र कुमार यादव पुत्र गुरूदयाल जाति अहीर
8. सुमन पुत्री विरेन्द्र कुमार यादव पुत्र गुरूदयाल जाति अहीर सभी निवासी ग्राम सांसेडी तह0 नीमराना।

वादीगण।

बनाम

1. संतोष पुत्री सुल्तान जाति अहीर निवासी ग्राम सांसेडी तह0 नीमराना।
2. कमला पुत्री सुल्तान जाति अहीर निवासी ग्राम सांसेडी तह0 नीमराना
3. उपपंजीयक,नीमराना।
4. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार,नीमराना।
5. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय,अलवर।

प्रतिवादीगण।

दावा अतंगर्त धारा 88,89 व 188,189 आर0टी0एक्ट0

उपस्थितिः—

1. श्री पीताम्बर एड0 वादीगण की ओर से।
2. प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही।

—::निर्णय::—

पत्रावली पेश हुई। दावा के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है—

1. वादीगण ने वाद पेशकर निवेदन किया कि हाल आराजी ख.नं. 415/0.25, 463/0.25, 469/0.19, 482/0.08, 485/0.18, 528/0.20, 855/0.20, 104/0.09, 105/0.06, 114/0.05, 132/0.23, 135/0.10, 253/0.09, 262/0.11, 395/0.12, 690/0.11, 701/0.09, 775/0.12, 775/1134/0.07, 1044/0.21, 1047/0.13, 1046/0.15, 94/0.24, 95/0.04 वाके ग्राम सासेडी के संवत 2042 से पूर्व के ख.नं. कमश 322/01—00, 404/0—15, 403/0—13, 370/01—08, 367/0—17, 653/0—17, 138मिन/0—07, 134/0—08, 129/01—00, 138/0—07, 39/0—13, 36/0—09, 314/0—09,493/0—09,480/0—07, 610/01—04,789/0—18, 786/0—14, 787/0—11, 142मिन/01—00 थे। तथा संवत 2020 से पूर्व के ख0नं. 313/01—00, 394/0—15, 393मिन/0—13, 361/01—08, 617/0—17, 140/0—07, 136/0—08, 131/01—00, 152/01—08,41/0—13, 38/0—09, 304/0—09, 470/0—07, 467/0—07, 582/01—04, 751/0—18,746/0—14, 747/0—11, 144/01—00 थे। जो हम वादीगण एंव प्रतिवादी सं. 01 व 02 एक ही बुजुर्ग छाजूराम की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी। छाजूराम के दो लडके प्रभात व सुल्तान थे। जिनके

अधिकारी
(अलवर)

विधिक वारिसान हम वादीगण व प्रतिवादीगण है। जिनका सजरा वाद मे अंकित किया जा रहा है।

2. यह है कि आराजी मुतनाजा के संवत 2020 से पूर्व के खसरा नम्बर 313 394,393, 361, 617, 140, 136, 131, 152, 41, 38, 304, 470, 467, 582, 751, 746, 747, 144 के समभाग खातेदार हम वादीगण एवं प्रतिवादनीगण के बुजूर्ग प्रभात सिंह सुल्तान पि. छाजूराम दर्ज रिकार्ड है इसी अनुसार दोनो भाई मौके पर आधी–आधी आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते थे जो खातेदारी इन्द्राज संवत 2020 तक सही दर्ज था। लेकिन संवत 2020 मे बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियो द्वारा नये खसरा नम्बर 313,394,393, 361, 617,470,136 से नये नम्बर 322 404, 403,379, 370, 367, 653,493,134 कायम कर उसकी खातेदारी तो हम वादीगण व प्रतिवादनीगण के बुजूर्ग दोनो भाई प्रभाती सुलतान पि. छाजूराम के नाम से समभाग सही दर्ज कर दी गई। लेकिन साबिक खसरा नम्बर 140, 131, 152, 41, 38, 304, 467, 582, 751, 746, 747, 144 से नये खसरा नम्बर 138 मिन, 129, 138, 39, 36, 314, 480, 610789, 786, 787,142, कायम कर गलती व लापरवाही से बिना किसी आदेश के अकेले प्रतिवादीगण के बुजूर्ग सुलतान पुत्र छाजू के नाम दर्ज कर दी गई और हम वादीगण के बुजूर्ग प्रभाती का नाम छोड दिया गया जबकि साबिक रिकार्ड एवं मौके पर कब्जा काश्त के मुताबिक 1/2 भाग हम वादीगण के बुजूर्ग प्रभाती पुत्र छाजू के नाम भी दर्ज होना चाहिए था। जो गलत इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में रिपीट होता रहा तथा गलत इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादनीगण के बुजूर्ग सुलतान द्वारा साबिक खसरा नम्बर 142 का बेचान मगनीराम को कर दिया गया जो बयनामा के आधार पर मगनीराम के नाम से दर्ज हो गयी और शेष खसरा नम्बरान के नये खसरा नम्बर 104, 105, 114, 132, 135, 253, 262, 395, 701, 690,775, 1044 1046 1047 कायम कर बिना मौका पर कब्जा काश्त की जांच किये ही पूर्व के रिकार्ड में दर्ज गलत खातेदारी को ही रिपीट कर दिया गया। जबकि मौके पर दोनो भाई प्रभात व सुलतान समभाग के रूप में काबिज रहकर काश्त करते रहे थे और उनकी मृत्यु के बाद प्रभात के हिस्से पर सजरा के मुताबिक प्रभात के विधिक वारिसान काबिज हो गये तथा सुलतान के हिस्से पर प्रतिवादनीगण काबिज हो गयी थी मौके पर कब्जा काश्त के मुताबिक प्रतिवादनीगण के पिता सुलतान द्वारा खसरा नम्बर 114 रकबा 0.05 है0 सालिम व ख.नं0 690 रकबा 0.11 है० मे अपने 1ध्2 हिस्से की भूमि का बेचान हम वादी सं0 1 व 2 को बेचान कर दिया एवं खसरा नम्बर 132 रकबा 0. 23 है0, 253 रकबा 0.09 है0, 262 रकबा 0.11 है0, 1044 रकबा 0.21 है0, 1046 रकबा 0.15 है0,94 रकबा 0.24 है0, 95 रकबा 0.04 है0 इस प्रकार कुल किता 7 कुल रकबा 1.07 है0 का बेचान अन्य लोगो को कर दिया गया इस प्रकार प्रतिवादनीगण के बुजूर्ग द्वारा कुल 117.5 एयर भूमि का बेचान कर दिया गया है और खसरा नम्बर 775 में से 09 एयर भूमि सड़क शाहजहांपुर से सांसेडी मे आवाप्त कर ली गई जिसका मुआवजा गलत इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादनी सं0 1 व 2 ने उठा लिया गया इसलिए प्रतिवादनी सं० 1 व 2 द्वारा उठाया गया मुआवजा की भूमि मे से भी आधी भूमि हम वादीगण की होने के कारण 4.5 एयर भूमि हम वादीगण की है इसलिए प्रतिवादनी सं0 1 व 2 व उनके पिता द्वारा 122 एयर भूमि का बेचान कर दिया गया जो भूमि क्रेतागण के नाम से दर्ज हो गयी है और सडक मे

...अधिकारी
...ना (अलवर)

अवाप्त की गई भूमि पी.डब्ल्यू डी के नाम से हो गयी जिसकी जमाबन्दीयो की नकले संलग्न है।

3. यह है कि हाल खसरा नम्बर 104, 105, 114, 132, 135, 253, 262, 395, 701, 690, 775, 1044, 1046, 1047,94, 95 कुल किता 16 कुल रकबा 2.10 है0 हम वादीगण व प्रतिवादीण के पिता परभात सुलतान पि. छाजू की समभाग खातेदारी के खसरा नम्बर साबिक 313,134, 394,393, 361, 617,470,136, 493 से नये नम्बर 322,404, 403,379, 370, 367, 653,493,134 से कायम किये गये है जिसके मुताबिक आराजी मुतनाजा के 1¢2 हिस्से की खातेदारी हम वादीगण के बुजूर्ग परभात पुत्र छाजू के नाम से व 1¢2 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादनीगण के पिता सुल्तान पुत्र छाजू के नाम दर्ज होनी चाहिए थी। लेकिन बन्दोबस्त संवत 2020 व 2042 मे बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियो द्वारा गलती व लापरवाही से बिना मौके पर कब्जा काश्त की जांच कियेव बिना साबिक रिकार्ड मे दर्ज खातेदारी का अवलोकन किये ही हम वादीगण के बुर्जूग परभात को छोड दिया और पूरी खातेदारी प्रतिवादनीगण के पिता सुलतान के नाम से दर्ज कर दी गई। प्रतिवादनी सं0 1 व 2 के पिता सुलतान ने मौके पर कब्जा काश्त के मुताबिक अपने हिस्से से 17 एयर भूमि अधिक का बेचान कर दिया गया है। जबकि सुलतान को मात्र 105 एयर भूमि का बेचान ही करना चाहिऐ था।

4. यह है कि हम वादीगण के बुजूर्ग श्री परभाती पुत्र छाजू आराजी मुतनाजा के मौके पर अपने 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त करता था और उनके बाद पीढी दर पीढी उनके हिस्से की भूमि पर हम वादीगण के पिता एवं उनके बाद हम वादीगण काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। आराजी मुतनाजा पर हम वादीगण को काश्त करने मे आज तक किसी ने कोई दिक्कत बाजी ननही की गई इसलिए आराजी मुतनाजा के गलत रिकार्ड की जानकारी नही थी। लेकिन अब आराजी मुतनाजा के हाल रिकार्ड मे गलत इन्द्राजात के आधार पर प्रतिवादनी सं० 1 व 2 हम वादीगण के हिस्से व कब्जा काश्त की भूमि को अपनी बताकर दिगर जगह मुन्तकिल करने की कोशिश करने लगी तब हम वादीगण द्वारा आराजी मुतनाजा के रिकार्ड की नकल लेकर देखा तब पता चला की – आराजी खसरा नम्बर हाल 104, 1047, 105, 135, 395, 701, 775, 775/1134 सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 690 के 1/2 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादनी सं0 1 व 12 के नाम से रिकार्ड मे दर्ज है। जबकि उक्त आराजी प्रतिवादनीगण के हिस्से व कब्ज काश्त की भूमि नही है। हम वादीगण द्वारा आराजी मुतनाजा का हाल तव साबिक रिकार्ड की नकले निकलवाई तब पता चला है कि संवत 2020 व 2042 मे बन्दोबरत विभाग के कर्मारियो द्वारा उक्त आराजी सम्पूर्ण को गलती वलापरवाही से सुलतान पुत्र छाजू अकेला के नाम दर्ज कर दिया गया जो ग खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे रिपीट हो ररही है। जबकि वादनीगण द्वारा आराजी मुतनाजा मे अपने सम्पूर्ण हिस्से की भूमि का बेचान किया जा चुका है और 17 एयर भूमि हम वादीगण के हिस्से की गलत इन्द्राज के आधार पर बेचान कर दी गई है। और अब राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त करवाने के लिए दिनांक 20.05. 2023 को साफ इंकार कर दिया और आराजी मुतनाजा को हाल गलत इन्द्राजात की आड मे दिगर जगह मुन्तकिल करने की धमकी दी है। इसलिए हम वादीगण द्वारा यह दावा इस्तकरार हक व दुरुस्ती इन्द्राजात का पेश करना आवश्यक हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)

5. यह है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 104, 105,114, 132, 135, 253, 262, 395,690, 701, 775 1044, 1046, 1047,94, 95 कुल किता 16 कुल रकबा 2.10 है0 के साबिक रिकार्ड के मुताबिक 1 व 2 हिस्से का खातेदार हम वादीगण के बुजुर्ग परभात व 1/2 हिस्से का प्रतिवादनीगण के पिता सुलतान दर्ज था। इसी अनुसार मौके पर दोनो भाई आराजी मुतनाजा का बाहमी बंटवारा कर काश्त करते थे जिनके बाद हम वादीगण अपने बुजुर्ग के पदचिन्हो पर अपने हिस्से की भूमि पर काबिज रहकर काश्त कर रहे है। लेकिन बन्दोबस्त संवत 2020 व 2042 मे बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियो द्वारा गलती व लापरवाही से उक्त सम्पूर्ण आराजी की खातेदारी प्रतिवादनीगण के पिता सुलतान के नाम से बैजा तोर पर दर्ज कर दी गई जिसकी जानकारी परभात व सुलतान दोनो का ही नही थी। मौके पर काश्त के मुताबिक प्रतिवादनीगण के पिता सुलतान ने उक्त खसरा नम्बरान मे अपने हिस्से के खसरा नम्बर 132, 253, 114,262,1044,1046,94, 95 कुल किता 7 कुल रकबा 1.12 है0 सम्पूर्ण व खसरा नं. 690 रकबा 11 एयर का 1/2 हिस्सा का बेचान हाल गलत इन्द्राजात के आध आर पर कर दिया गया है तथा खसरा नम्बर 775 में से 09 एयर भूमि सडक मे आवाप्त करली गई जिसका मुआवजा भी प्रतिवादनी सं० 1 व 2 ने उठा लिया गया इस प्रकार प्रतिवादनी सं0 1 व 2 द्वारा तरफ 17 एयर भूमि अधिक का बेचान व मुआवजा उठा लिया गया। इसलिए हम वादीगण आराजी मुतनाजा मे अपने हिस्से का 205 एयर भूमि की खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है ऐसी सूरत मे खसरा नम्बर हाल 104 रकबा 0.09 है0, 1047 रकबा 0.13 है0, 105 रकबा 0.06 है0, 135 रकबा 0.10 है0, 395 रकबा 0.12 है0, 701 रकबा 0.09 है0, 775 रकबा 0.12 है0, 775/1134 रकबा 0.07 है0 कुल किता 8 रकबा 0.78 है0 सालिम व खसरा नम्बर 690 रकबा 0.11 है0 463 रकबा 0.25 है0,469 रकबा 0.19 है0 के 1/2 हिस्सा वाके ग्राम सांसेडी तहसील नीमराना जिला अलवर राज0 पर से प्रतिवादनी संव 1 व 2 का नाम कलमजन किया जाकर उसके 1/2 हिस्से के खातेदार वादी सं० 1 को व वादी सं0 2.3.4 प्रत्येक को हिस्सा 1/8 के व वादी स0 5,6,7,8 को समभाग हिस्सा 1/8 के खातेदार घोषित किया जावे व इसी अनुसार हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात में अंकन करने का आदेश फरमाया जाना न्याय संगत है।

6. यह है कि प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा के गलत इन्द्राजात के आधार पर आराजी मुतनाजा को बिना मौके पर कब्जा दिये ही बाला–बाला दिगर जगह मुन्तकिल करने पर उतारू हो रही है। अगर प्रतिवादनीगण अपने इस कुण्ठित इरादे मे कामयाब हो गयी तो हम वादीगण को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी व अपने जायज हक हकूको से वंचित रहना पडेगा व बहुवादिता बढेगी ऐसी सूरत मे प्रतिवादनी सं0 1 व 2 को इस आशय की हुक्म ईम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जावे कि वो आराजी खसरा नम्बर हाल 104 रकबा 0.09 है0,1047 रकबा 0.13 है0, 105 रकबा 0.06 है0, 135 रकबा 0.10 है0, 395 रकबा 0.12 है0, 701 रकबा 0.09 है0, 775 रकबा 0.12 है0, 775/1134 रकबा 0.07 है0 सालिम व खसरा नम्बर 690 रकबा 0.11 है0,463 रकबा 0.25 है0,469 रकबा 0.19 है0 के 1/2 हिस्सा वाके ग्राम सांसेडी तह० नीमराना को हाल गलत इन्द्राजात के आध गार पर दिगर जगह रहन बय हिबा व अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल नही करे ना ही गलत इन्द्राजात के आधार पर मौके पर जबरन कब्जा करे व ना ही हम वादीगण को उक्त आराजी

अधिकारी
ा (अलवर)

मुतनाजा पर काविज रहकर फसल बोने काटने व हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने मे स्वंय व अपने परिवार के सदस्यो एजेन्टान, नौकरान द्वारा किसी प्रकार की दिक्कत वाजी पैदा नही करे तथा आराजी मुतनाजा की बावत हर मुन्तकिली दस्तावेजात को तस्दीक व पंजीवद्ध उप पंजीयक नीमराना करता है इसलिए उप पंजीयक नीमराना को पावन्द किया जावे कि उनके समक्ष आराजी मुतनाजा की बावत कोई भी मुन्तकिली दस्तावेजात प्रतिवादी सं0 1 लगा. 7 द्वारा पेश करने पर उनको तस्दीक व पंजीवद्ध नही करे । मौका व रिकार्ड की यथास्थिती बनाई रखे। बाज आवे ।

7. अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वाद पत्र वादी बरखिलाफ प्रतिवादीगण 13 निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे –

(क) कि डिक्री इस्तकरार हक इस अमर की जारी की जावे कि आराजी खसरा नम्बर हाल 104 रकवा 0.09 है0, 1047 रकवा 0.13 है0, 105 रकवा 0.06 है0, 135 रकवा 0.10 है0, 395 रकवा 0.12 है0, 701 रकवा 0.09 है0, 775 रकवा 0.12 है0, 775/1134 रकवा 0.07 है0 कुल किता 8 रकवा 0.78 है0 सालिम व खसरा नम्बर 690 रकवा 0.11 है0, 463 रकवा 0.25 है0,469 रकवा 0.19 है0 के 1/2 हिस्सा वाके ग्राम सांसेडी तहसील नीमराना जिला अलवर राज0 पर से प्रतिवादनी सं0 1 व 2 का नाम कलमजन किया जाकर उसके 1/2 हिस्से के खातेदार वादी सं० 1 को व वादी सं0 2,3,4 प्रत्येक को हिस्सा–1/8 के व वादी सं0 5,6,7,8 को समनाम हिस्सा – 1/8 के खातेदार घोषित किया जावे व इसी अनुसार हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात मे अंकन करने का आदेश फरमाया जावे।

(ख) कि डिक्री हुक्म ईम्तनाई दवामी जारी की जाकर प्रतिवादनी सं0 1 व 2 को इस आशय की हुक्म ईम्तनाई दवामी से पावन्द किया जावे कि वो आराजी खसरा नम्बर हाल 104 रकवा 0.09 है0, 1047 रकवा 0.13 है0 105 रकवा 0.06 है०, 135 रकवा 0.10 है0, 395 रकवा 0.12 है0, 701 रकवा 0.09 है0, 775 रकवा 0.12 है0, 775/1134 रकवा 0.07 है0 सालिम व खसरा नम्बर 690 रकवा 0.11 है0,463 रकवा 0.25 है0,469 रकवा 0.19 है0 के 1/2 हिस्सा वाके ग्राम सांसेडी तह० नीमराना को हाल गलत इन्द्राजात के आधार पर दिगर जगह रहन बय हिवा व अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल नहीं करे ना ही गलत इन्द्राजात के आ र पर मौके पर जबरन कब्जा करे व ना ही हम वादीगण को उक्त आराजी मुतनाजा पर काविज रहकर फसल बोने काटने व हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने मे स्वंय व अपने परिवार के सदस्यो एजेन्टान, नौकरान द्वारा किसी प्रकार की दिक्कत वाजी पैदा नही करे तथा आराजी मुतनाजा की बावत हर मुन्तकिली दस्तावेजात को तस्दीक व पंजीवद्ध उप पंजीयक नीमराना करता है इसलिए उप पंजीयक नीमराना को पावन्द किया जाये कि उनके समक्ष आराजी मुतनाजा की बाबत कोई भी मुन्तकिली दस्तावेजात प्रतिवादी सं० 1 लगा. 7 द्वारा पेश करने पर उनको तस्दीक व पंजीवद्ध नही करे । मौका व रिकार्ड की यथास्थिती बनाई रखे बाज आवे ।

(ग) दीगर दादरसी जो बैयनजदीक अदालत श्रीमान हो सादर अता फरमाई जावे।

(घ) खर्चा मुकदमा वादनीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

धेकारी
ालवर)

8. दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया । बाद तामिल प्रतिवादीगण न्यायालय हाजा मे उपस्थित नही हुए उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादीगण नियत की गई।

9. वादीगण ने अपने वाद की पुष्टि हेतु साक्ष्य मे मानसिंह पुत्र प्रभातसिंह का शपथ पत्र पी0डब्ल्यू0 01,विरेन्द्र सिंह पुत्र रामकृपाल का शपथ पत्र पी0डब्ल्यू0 02 पेश किए है तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल जमाबंदी संवत 2074–77 प्रदर्श 01,02,03,04,05,06,07, 08,09 व 10 नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2042 प्रदर्श 11, 73, 74, 93 नकल जमाबंदी भूप्रबंध विभाग संवत 2042 प्रदर्श 12, 13, 14, 86, 87, 88,94 ,95, नकल जमाबंदी संवत 2046 प्रदर्श 15, 16, 17, 18, नकल जमाबंदी संवत 2050 प्रदर्श 19,20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, नकल जमाबंदी संवत 2058–61 प्रदर्श 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, नकल जमाबंदी संवत 2062–65 प्रदर्श 40, 41, 42, 43, 44, नकल जमाबंदी संवत 2066–69 प्रदर्श 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, नकल जमाबंदी संवत 2070–73 प्रदर्श 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 नकल जमाबंदी संवत 2029 प्रदर्श 60, 61, 62, 63, 64, 65, नकल जमाबंदी संवत 2017 प्रदर्श 66, नकल जमाबंदी संवत 2020 भू प्रबंध विभाग प्रदर्श 67, 68 व 69, 71, नकल जमाबंदी संवत 2017 प्रदर्श 70,90 नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2020 प्रदर्श 72,75, नकल जमाबंदी संवत 2020 भू प्रबंध प्रदर्श 76 लगा. 85, नकल जमाबंदी संवत 2013 प्रदर्श 89 नकल जमाबंदी संवत 2009 प्रदर्श 91, नकल जमाबंदी संवत 2033 प्रदर्श 92, 96, 97, 98, 99, 100, 101, नकल ख.परिशोधन प्रदर्श 102 लगा. 110 नकल नोटिस धारा 80 सी0पी0सी0 प्रदर्श 111 पेश किये है।

10. वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2017 के अनुसार ख.नं. 38, 131, 136, 114, 304, 415, 480, 582, 110, 611, 746, 751 प्रभातसिंह, सुल्तानसिंह पिता छाजूसिंह अहीर सा.देह मालिकान दर्ज रिकॉर्ड है। भू प्रबंध विभाग द्वारा संवत 2020 व 2042 मे साबिक ख.नं. के हाल ख.नं. निम्न प्रकार कायम किये गये है:–

हाल ख0नं0	संवत 2042 से पूर्व के ख.नं.	संवत 20202 से पूर्व के ख.नं.
104 / 0.09	138मिन / 0–7	140
105 / 0.06	138मिन /	140
114 / 0.05	134 / 0–08	136
132 / 0.23	129 / 01–00	131 / 01–00
135 / 0.10	138 / 0–7	140 / 0–7
253 / 0.09	39 / 0–13	41 / 0–13
262 / 0.11	36 / 0–9	38 / 0–9
395 / 0.12	314 / 0–9	–––
690 / 0.11	493 / 0–9	480 / 0–9
701 / 0.09	480 / 0–7	467 / 0–7

ई अधिकारी
ाना (अलवर)

775 / 0.12	610 / 01—05	582 / 01—05
1044 / 0.21	789 / 0—18	751 / 0—18
1047 / 0.13	786 / 0—14	746 / 0—14
1046 / 0.15	787 / 0—11	747 / 0—11
94 / 0.24	142मिन / 01—00	144 / 01—00

नकल जमाबंदी भू प्रबंध विभाग संवत 2020 के अवलोकन से साबित है कि दौराने भू प्रबंध साबिक जमाबंदी संवत 2017 के अनुसार प्रभातसिंह के नाम का अंकन छोडते हुये एकेले सुल्तानसिंह को खातेदार दर्ज किया है जो अंकन भूप्रबंध संवत 2042 से ताहाल रिकॉर्ड मे गलत अंकन होता चला आ रहा है संवत 2042 मे भी आराजी विवादित सुल्तानसिंह पुत्र छाजूसिंह को खातेदार दर्ज किया हुआ है तथा हाल जमाबंदी के अनुसार आराजी विवादित सुल्तान की पुत्री प्रतिवादी सं. 01 व 02 के नाम का अंकन हो रहा है जो गलत है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से वादीगण का वाद बाखुबी साबित होता है।वाद वादीगण डिक्री किया जाना कानूनसंगत व न्यायोचित प्रतित होता है।

11. अतः आदेश है कि:—

वाद वादीगण बाबत इस्तकरारहक एकपक्षीय डिक्री किया जाकर हाल आराजी ख.नं. 104 रकबा 0.09 है0, 1047 रकबा 0.13 है0, 105 रकबा 0.06 है0, 135 रकबा 0.10 है0, 395 रकबा 0.12 है0, 701 रकबा 0.09 है0, 775 रकबा 0.12 है0. 775/1134 रकबा 0.07 है0 कुल किता 8 रकबा 0.78 है0 सालिम व खसरा नम्बर 690 रकबा 0.11 है0, 463 रकबा 0.25 है0,469 रकबा 0.19 है0 के 1/2 हिस्सा वाके ग्राम सांसेडी तहसील नीमराना जिला अलवर राज0 पर से प्रतिवादनी सं0 1 व 2 का नाम कलमजन किया जाकर उसके 1/2 हिस्से के खातेदार वादी सं० 1 को व वादी सं0 2,3,4 प्रत्येक को हिस्सा—1/8 के व वादी सं0 5,6,7,8 को समभाग हिस्सा — 1/8 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। तदानुसार ही बाद दुरूस्ती हाल राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदरामद किए जाने के आदेश दिए जाते है। खर्चा वाद वादीगण स्वयं वहन करेगे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशलशुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 31·7·2023 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय मे घोषित किया गया।

31/7/2023

मुकुन्द सिंह (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :— मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
208 / 2023	30.05.2023	31·7·2023

उनवान

1. मानसिंह पुत्र प्रभातसिंह जाति अहीर
2. शांति पत्नी गुरूदयाल जाति अहीर
3. सुरेश कुमार पुत्र गुरूदयाल जाति अहीर
4. बीरमति पुत्री गुरूदयाल जाति अहीर
5. माया पत्नी विरेन्द्र कुमार पुत्र गुरूदयाल
6. औमवती पुत्री विरेन्द्र कुमार यादव पुत्र गुरूदयाल
7. राजेश पुत्र विरेन्द्र कुमार यादव पुत्र गुरूदयाल जाति अहीर
8. सुमन पुत्री विरेन्द्र कुमार यादव पुत्र गुरूदयाल जाति अहीर सभी निवासी ग्राम सांसेडी तह0 नीमराना।

वादीगण।

बनाम

1. संतोष पुत्री सुल्तान जाति अहीर निवासी ग्राम सांरोडी तह0 नीमराना।
2. कमला पुत्री सुल्तान जाति अहीर निवासी ग्राम सांरोडी तह0 नीमराना
3. उपपंजीयक,नीमराना।
4. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार,नीमराना।
5. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय,अलवर।

प्रतिवादीगण।

दावा अतंगर्त धारा 88,89 व 188,189 आर0टी0एक्ट0

उपस्थितिः—

1. श्री पीताम्बर एड0 वादीगण की ओर से।
2. प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

दिनांकः 31·7·2023

—::पर्चा डिक्री::—

वाद वादीगण बाबत इस्तकरारहक एकपक्षीय डिक्री किया जाकर हाल आराजी ख.नं. 104 रकबा 0.09 है0, 1047 रकबा 0.13 है0, 105 रकबा 0.06 है0, 135 रकबा 0.10 है0, 395 रकबा 0.12 है0, 701 रकबा 0.09 है0, 775 रकबा 0.12 है0. 775/1134 रकबा 0.07 है0 कुल किता 8 रकबा 0.78 है0 सालिम व खसरा नम्बर 690 रकबा 0.11 है0, 463 रकबा 0.25 है0,469 रकबा 0.19 है0 के 1/2 हिस्सा वाके ग्राम सांसेडी तहसील नीमराना जिला अलवर राज0 पर से प्रतिवादनी सं0 1 व 2 का नाम कलमजन किया जाकर उसके 1/2 हिस्से के खातेदार वादी सं० 1 को व वादी सं0 2,3,4 प्रत्येक को हिस्सा—1/8 के व वादी सं0 5,6,7,8 को समभाग हिस्सा — 1/8 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। तदानुसार ही वाद दुरूस्ती हाल राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदरामद किए जाने के आदेश दिए जाते है। खर्चा वाद वादीगण स्वयं वहन करेगे।

31/7/2023

मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)